निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 वैशाख 1942 (श0)

(सं0 पटना 294) पटना, मंगलवार, 12 मई 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

12 मई 2020

सं० एल0जी0–01–05/2020/**2280/लेज**—भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन बिहार राज्यपाल **दिनांक**–11 **मई**, 2020 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव ।

(बिहार अध्यादेश संख्या-01, 2020)

बिहार कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम–27) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

चूँकि, भारत सहित दुनिया के कई देशों में महामारी कोविड 19 के प्रसार के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम क्रुड तेल के मूल्यों में लगातार हो रहे उतार–चढाव के कारण पेट्रोल तथा डीजल से प्राप्त होने वाले वैट राजस्व में कमी हो रही है एवं इन वस्तुओं पर इनकी मात्रा, परिमाण अथवा इनके मूल्य के आधार पर करारोपण किये जाने हेतु बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है;

चूँकि, बिहार राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है;

और, चूँकि, बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम–27) का, इसमें आगे वर्णित रीति से, संशोधन करने के लिए उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ।**–(1) यह अध्यादेश बिहार कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. **बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–14 में संशोधन।**– बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 14 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा–

''14, अधिनियम के तहत देय कर की गणना –

(क) मालों की विक्रय कीमत पर ऐसी दर से जो पचास प्रतिशत से अनधिक हो; या

(ख) मालों के वजन या मात्रा पर ऐसी दर से जो पचास रूपये प्रति लीटर से अनधिक हो; या

(ग) खंड (क) या (ख) की सम्मिश्रण,

के आधार पर की जायेगी जो राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन जो उक्त अधिसूचना में विर्निदिष्ट हो, अधिसूचित करे।

पटना। फागू चौहान,

दिनांक :– 11 मई 2020 बिहार राज्यपाल।

भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मैने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

पटना। फागू चौहान,

दिनांक :– 11 मई 2020 बिहार राज्यपाल।

विधि विभाग

अधिसूचना

12 मई 2020

संख्या-**एल0जी0-01-05/2020/2281./लेज—**बिहार राज्यपाल द्वारा **dated- 11th May, 2020** को प्रख्यापित **बिहार कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या-01,2020)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

[Bihar Ordinance No.01, 2020]

THE BIHAR TAXATION LAW (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

An Ordinance to further amend the Bihar Value Added Tax Act, 2005.(Act No.27 of 2005)

WHEREAS, in view of the rapidly fluctuating prices of petroleum crude oil in the international market in view of the of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India causing loss of VAT revenue from petrol and diesel, it has become imperative to amend the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) to provide a mechanism for levying VAT on petrol and diesel on the basis of quantity, volume or price;

AND, WHEREAS, the Bihar Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to promulgate the following Ordinance: -

„**1.** ***Short title, extent and commencement.—*** (1) This Ordinance may be called the Bihar Taxation Law (Amendment) Ordinance, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. ***Amendment of Section 14 of Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005).—*** Section-14 of the Bihar Value Added Tax Act shall be substituted by the following, namely :-

"14. The tax payable under the Act shall be calculated on the basis of-

(a) The sale price of the goods at such rate not exceeding fifty percent; or

(b) The weight or volume of the goods at such rate not exceeding fifty rupees per litre; or

(c) Any combination of clause (a) or (b)

as the State Government may, by notification, specify and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the said notification.

Patna: ***Phagu Chauhan***

Dated:11th May 2020 ***Governor of Bihar.***

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मदन किशोर कौशिक,

सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 294-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in